



Book No. 53.
Date 21 SEP 2022

मैं, राकेश कुमार सिन्हा 'पप्पु' पिता/पत्नी राम नारायण सिन्हा
उम्र 54 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर प्रबंधन मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 23
मोहल्ला मीतीमील, पोस्ट प्रधान डाकघर, थाना नगर, जिला मुजफ्फरपुर
बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर प्रबंधन मुजफ्फरपुर के
वार्ड संख्या 23 के *पार्षद/*अव मुख्य प्रबंधन/*मुख्य प्रबंधन पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर
प्रबंधन मुजफ्फरपुर के वार्ड 23 के *पार्षद/*अव मुख्य प्रबंधन/*मुख्य
प्रबंधन पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर सुनील कुमार
नाम- सुनील कुमार
पता- मफतलाल लैन मीतीमील
थाना - नगर जिला - मुजफ्फरपुर

(राकेश कुमार सिन्हा 'पप्पु')
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

Abhis Kumar Thakur
Advocate
21/09/2022

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर
नाम-
पता-

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 21/09/2022

लगातार

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिशनर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

21 SEP 2022

21/09/2022

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुजफ्फरपुर जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर
के वार्ड संख्या 23 से *पार्षद/*उप मुख्य कार्यरत/*मुख्य कार्यरत पद का निर्वाचन।
अभ्यर्थी का नाम- राकेश कुमार सिन्हा 'पप्पु'
पिता/मत्तिका नाम- राम नारायण सिन्हा

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्द्धदण्ड से दंडित किये गये हैं- शून्य

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:-

- (i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- शून्य
(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- शून्य
(iii) किये गये अपराध की प्रकृति- शून्य
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)
(iv) दिया गया दण्ड- शून्य
(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- शून्य
(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- शून्य

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? शून्य

- (i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- शून्य
(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- शून्य
(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- शून्य
(iv) यदि निष्पादित है, तो शून्य
(क) निष्पादन की तिथि- शून्य
(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शून्य

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शून्य

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शून्य

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- शून्य

- (i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों- शून्य
(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- शून्य

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर वैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- (1) सदर थाना कांड सं.- 104/12

- अन्तर्गत धारा - 341, 323, 448, 504, 506, 34 भा.दं.वि.
(i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- (2) मिठनपुरा थाना कांड सं.- 287/15 अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 506, 171(E), 34 भा.दं.वि.
(ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- एवं 125, 127 R.P.A.
(iii) अपराध संख्या (1) सदर थाना कांड सं.- 104/12 सरकार बनाम नरेंद्र पटेल दं.प्र. श्रेणी सदर थाना कांड सं.- वॉरंट - GR No. - 1368 (2) मिठनपुरा थाना कांड सं.- 287/15 सरकार बनाम निसारुद्दीन उर्फ छोटे 104/15
(iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- (1) सदर थाना कांड सं.- 104/12 संज्ञान के तिथि - 03/04/2016 (2) मिठनपुरा थाना कांड सं.- 287/15 संज्ञान के तिथि - 03/11/2019
(v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना

पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शून्य

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें-

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- शून्य
(ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शून्य
(iii) अपराध संख्या- शून्य
(iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शून्य
(v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना

पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शून्य

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- मिठनपुरा थाना कांड सं.- 287/15
अन्तर्गत धारा - 341, 323, 504, 506, 171(E), 34 भा.दं.वि. एवं धारा - 125, 127 आर.पी. एक्ट
(कंडिका - 2 में उल्लेखित)

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- शून्य

- (ii) शहरी भूमि- (1) खाता सं.- 267, खेसरा सं.- 443 दौ.नं.- 545/396 4.5 धुर - मूल्य - 454000/- रु. पिताजी के नाम पर है। (2) खाता सं.- 267 खेसरा सं.- 443 दौ.नं.- 546/392, 4.5 धुर - मूल्य - 454000/- रु. पत्नी के नाम पर है। (3) खाता सं.- 279/166, खेसरा सं.- 109, 162 दौ.नं.- 249/168 7 धुर मूल्य - 1380000/- रु. पत्नी के नाम पर है।
(iii) भवन- (1) खाता सं.- 267, खेसरा सं.- 443 दौ.नं.- 545/396 - G+2 भवन का मूल्य - 9,90,000/- रु. (2) खाता सं.- 267 खेसरा सं.- 443, दौ.सं.- 546/392 G+3 भवन का मूल्य - 13,20,000/- रु. (3) खाता सं.- 279, 166 खेसरा सं.- 109, 162 दौ.नं.- 249/168 A G+3 भवन का मूल्य - 19,80,000/- रु.
उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 90,000/- रु

(ii) बैंक बैलेन्स-(1) डाकधर-5मली-चट्टी-खाता सं.-
4621434756 = 68000/- रु. स्वयम्
(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)(2) युको बैंक जवाहर
लाल राड-खाता सं.-011 90110021354=
1393.21 रु. स्वयम् (3) बैंक ऑफ बड़ोदा केदार
नाथ रोड खाता सं.-24450100012056=17239.85
(iv) बॉण्ड, शेयर- वेदा पत्नी के नाम पर।
(LIC) भारतीय जीवन बीमा निगम पर।
(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें) एक लातव रु.
पत्नी पूनम सिन्हा जी के नाम पर एक
लातव रु. का है।

(iii) फिक्स डिपोजिट शून्य

(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(v) वाहन शून्य

(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन

पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण चाँदी आभूषण-पायल
(पूर्ण विवरण दें) 111 ग्राम = 6438 रु., अंगुठी - 2 पीस-
5 ग्राम - 290 रु., मोती - दो पीस - 10 रु. + 10 रु. =
2000 रु. कुल चाँदी आभूषण वजन - 126 ग्राम
कुल कीमत - 7888 रु. एवं = 2000 रु.
सोना आभूषण

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/ शून्य

वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ

(प्रमाण-पत्रों के साथ)

मंगल सूत्र - 1 पीस - 5 ग्राम - 22000 रु.
मंगदीका - 1 पीस - 5 ग्राम - 22000 रु.
मुमका - 1 जोड़ा - 12 ग्राम - 52800 रु.
जाल का धार - दो पीस - 79 ग्राम - 347600 रु.
अंगुठी - 4 पीस - 28 ग्राम - 123,200 रु.
अंगुठी - 1 पीस - 6 ग्राम - 26400 रु.
ताबीज - 1 पीस - 5 ग्राम - 22000 रु.
पोखराज रत्न - 1 पीस - 9 रत्नी - 72000 रु.
कुल सोना आभूषण वजन - 1402 ग्राम
कुल कीमत - 616000 रु. पोखराज
रत्न - 72000 रु.

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति शून्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज में दी गई प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण
के नाम के साथ अंकित करें-
वी.बी. कॉलेजियट स्कूल
मुजफ्फरपुर

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर

तिथि- 22/09/2022

विश्वनाथ सिंह 'पज्ज'
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।